पॉलिसी: उपहार और मदद स्वीकार करना

पॉलिसी क्रमांक – 9

आख़िरी संशोधन की तारीख – 28/07/2021

किस पर लागू है – कंपनी के सभी कर्मचारी

पॉलिसी मे पेज़ों की कुल संख्या – 1

किसी भी कर्मचारी को किसी भी वेंडर, ग्राहकों या कंपनी के मामलों से संबंधित किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कंपनी का हिस्सा नही है, कोई मदद/उपहार/पैसा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उपहार प्रशंसा के प्रतीक न होकर, मदद की अपेक्षा करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारी A, वेंडर B से मदद/उपहार/पैसा स्वीकार कर रहा है, तो ऐसे मे भले ही कर्मचारी A का, वेंडर B की मदद करने का कोई इरादा न हो, लेकिन वेंडर B को यह ग़लतफहमी हो सकती है कि चूंकि उसने कर्मचारी A की मदद की है, इसलिए किसी दिन कर्मचारी A भी मेरी मदद करेंगे । इससे कर्मचारी A पर अनुचित दबाव बन सकता है। इसलिए यह प्रथा पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है और यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है। तो उसके सभी लाभों को समाप्त कर दिया जाएगा और उसका फुल और फाइनल भी जब्त कर लिया जाएगा।

यदि आपको फिर भी कोई उपहार या प्रतीक दिया जाता है, तो आप सामने वाले को विनम्रता से मना कर दें। यदि फिर भी वह आपको उपहार देते हैं या आपके लिए भेजते हैं। तो ऐसे सभी उपहारों को एच-आर विभाग में जमा करा दें। एच-आर विभाग उन सभी उपहारों को या तो मैनेजमेंट को दे सकते हैं। या कर्मचारियों में समान रूप से बिना देने वाले का नाम सार्वजनिक किए बाँट सकते हैं। यह निर्णय एच-आर प्रमुख का ही होगा।

★ HR and Management ★ Approved

एच-आर प्रमुख द्वारा लिखित

मैनेजमेंट द्वारा स्वीकृत